

3/2/23

पश्चावली वेश हुई। वकील वारी उज.। पन्हील वारी ने
 क्वन किया कि 'वारी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जा चुका
 है। दावा प्राथमिक डिक्री किए जाने से आर्ची का डा. पत्र
 चलाए रखने का औचित्य प्रती नहीं होता है। का. डा. पत्र
 को निस्तारण करवाया जावे। वकील जाली के क्वन पर गौर
 किया व डा. पत्र का कवलोकन किया तो दावा वारी प्राथमिक
 डिक्री किए जाने से उम्मेद अजायब को ताईसलावाद
 और आस्थागी निवेद्याला ले ताईसलावाद पाके किया जाना उचित
 समझते हैं। अतः डा. पत्र स्वीकार किया जाकर अजायब
 को आस्थागी निवेद्याला ले वाकद किया जाकर ताईसलावाद
 स्वागत कादेश दिनांक 22/12/22 क्वन किया जाता है।
 पश्चावली काद त्कमील दाखिल दफ्तर है।

(Signature)
 उपस्थित अधिकारी
 उपखण्ड, वाकदू (जयपुर)